कार्यालय, आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी गढ़वाल के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखा-अभिलेखों की सम्प्रेक्षा श्री के.पी. सिंह स.ले.प.अ. एवं श्री बरुण शर्मा, स.ले.प.अ. श्री अनुज कुमार सिंघलस.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 19.1.2021 से 30.01.2021 तक श्री ए.के. भारतीय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी।

भाग-प्रथम

(क) परिचयात्मकः-कार्यालय, आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी गढ़वाल के वित्तीय वर्ष 2018-19 के लेखा-अभिलेखों की सम्प्रेक्षा श्री साहिल जौली, व.लेखापरीक्षक, श्री के.पी. सिंह एवं श्री राकेश रंजन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.04.2019 से 06.05.2019 तक श्री ए.के. भारतीय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी।

1- 2.(i) इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र-संपूर्ण पौड़ी जनपद।

(अ) संप्रेक्षा अवधि में कार्यरत कार्यालयाध्यक्ष का नाम एवं पदनाम-

(ii) सुश्री वन्दना सिंह, अपर सचिव, आयुक्त ग्राम्य विकास₹

कार्यालय, आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी गढ़वाल के विगत तीन वर्षों 2017-18 से 2019-20 के बजट आवंटन का **विवरण (धनराशि ₹ लाख में)**

वर्ष	**स्थापना/आयोजनेत्तर**				**गैर - स्थापना/आयोजनागत**			
	आवंटन	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2017-18	17617.08	16538.45	1078.63	0	150319.99	114045.19	36274.80	0
2018-19	21105.22	17106.74	3998.48	0	149483.06	110583.53	38899.53	0
2019-20	18903.52	15684.53	3218.99	0	128884.8	81968.46	46916.34	0

ए.एम.जी-I/ए.आई.आर.-117/2020-21

कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग पौड़ी में विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में प्राप्त बजट आबंटन एवं व्यय का विवरण

क्र.स.	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त	कुल योग	वर्ष में व्यय	अवशेष
1	दीनदयालअन्त्यो.योजनाएन.आर.एल.एम्.	0.00	3009.36	3009.36	2964.14	45.22
2	श्यामा प्रसाद मुखर्जीरुर्बन मिशन योजना	1773.00	670.11	2443.11	229.25	2213.86
3	डी.आर.डी.ए.प्रशासनिक योजना	26.99	2.06	29.05	11.73	17.32
4	प्रधान मंत्रि आवास योजना-ग्रामीण	6185.86	2952.45	9138.31	8661.31	477.00
5	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना	0.00	78858.32	78858.32	78858.32	0.00
6	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	21.61	0.00	21.61	16.51	5.10
7	दीनदयाल उत्तराखंड ग्रामीण आवासीय योजना	34.51	10.03	44.54	21.37	23.17
8	सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	3024.26	3347.37	6371.63	2754.91	3616.72
9	इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना	11.81	276.26	288.07	249.78	38.29
10	प्रसारप्रशिक्षकेंद्रआवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	विधायक निधि	19134.88	26625.00	45759.88	19006.34	26753.54
12	मेरा गाँव मेरी सड़क	893.34	0.00	893.34	433.17	460.17
13	उत्तराखंड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि	170.85	0.00	170.85	64.14	106.71
14	यू.आर.आर.डी.डी.ए.नाबार्ड से वित्त पोषित योजना	774.22	2500.00	3274.22	774.22	2500.00
15	उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना	17.70	0.00	17.70	0.00	17.70
	योग	32069.03	118250.96	150319.99	114045.19	36274.80

ए.एम.जी-I/ए.आई.आर.-117/2020-21

कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग पौड़ी में विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में प्राप्त बजट आबंटन एवं व्यय का विवरण

क्र.स.	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त	कुल योग	वर्ष में व्यय	अवशेष
1	दीनदयालअन्त्यो.योजनाएन.आर.एल.एम्.	45.22	4193.56	4238.78	3647.42	591.36
2	श्यामा प्रसाद मुखर्जीरुर्बन मिशन योजना	2213.86	900.00	3113.86	1234.86	1879.00
3	डी.आर.डी.ए.प्रशासनिक योजना	17.32	397.17	414.49	1.76	412.73
4	प्रधान मंत्रि आवास योजना-ग्रामीण	477.00	10877.41	11354.41	6596.25	4758.16
5	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना	0.00	65091.66	65091.66	64998.04	93.62
6	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	5.10	39.26	44.36	40.69	3.67
7	दीनदयाल उत्तराखंड ग्रामीण आवासीय योजना	23.17	1.73	24.90	2.30	22.60
8	सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	3616.72	3411.27	7027.99	3887.53	3140.46
9	इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना	38.29	192.15	230.44	221.26	9.18
10	प्रसारप्रशिक्षकेंद्रआवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	विधायक निधि	26753.54	26625.00	53378.54	27490.04	25888.50
12	मेरा गाँव मेरी सड़क	460.17	342.42	802.59	190.64	611.95
13	उत्तराखंड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि	106.71	0.00	106.71	5.04	101.67
14	यू.आर.आर.डी.डी.ए.नाबार्ड से वित्त पोषित योजना	2500.00	1101.63	3601.63	2230.0	1371.63
15	उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना	17.70	35.00	52.70	37.70	15.00
		36274.80	113208.26	149483.06	110583.53	38899.53

ए.एम.जी-I/ए.आई.आर.-117/2020-21

कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग पौड़ी में विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में प्राप्त बजट आबंटन एवं व्यय का विवरण

क्र.स.	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त	कुल योग	वर्ष में व्यय	अवशेष
1	दीनदयालअन्त्यो.योजनाएन.आर.एल.एम्.	591.36	5062.07	5653.43	5358.05	295.38
2	श्यामा प्रसाद मुखर्जीरुर्बन मिशन योजना	1879.00	1385.00	3264.00	393.14	2870.86
3	डी.आर.डी.ए.प्रशासनिक योजना	412.73	0.02	412.75	2.50	410.25
4	प्रधान मंत्रि आवास योजना-ग्रामीण	4758.16	600.11	5358.27	615.84	4742.43
5	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना	93.62	50891.52	50985.14	50902.66	82.48
6	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	3.67	48.00	51.67	44.81	6.86
7	दीनदयाल उत्तराखंड ग्रामीण आवासीय योजना	22.60	0.00	22.60	1.04	21.56
8	सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	3140.46	3686.36	6826.82	2993.43	3833.39
9	इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना	9.18	209.97	219.15	148.75	70.40
10	प्रसारप्रशिक्षकेंद्रआवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण	0.00	21.56	21.56	0.00	21.56
11	विधायक निधि	25888.50	26625.00	52513.50	20901.28	31612.22
12	मेरा गाँव मेरी सड़क	611.95	281.17	893.12	145.71	747.41
13	उत्तराखंड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि	101.67	42.63	144.30	0.00	144.30
14	यू.आर.आर.डी.डी.ए.नाबार्ड से वित्त पोषित योजना	1371.63	1129.61	2501.24	444.00	2057.24
15	उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना	15.00	2.25	17.25	17.25	0.00
		38899.53	89985.27	128884.80	81968.46	46916.34

वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 (धनराशि ₹ लाख में)

2(ii)स-कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग पौड़ी गढवाल का केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण|

(धनराशि रू0 लाख में)

वर्ष	मद का नाम	प्रा0 अवशेष	आवंटित धनराशि	कुल धनराशि	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
2017-18	**एन.आर.एल.एम्**	**0.0**	**3009.36**	**3009.36**	**2964.14**	**45.22**
2018-19	**एन.आर.एल.एम्.**	45.22	4193.56	4238.78	3647.42	591.36
2019-20	एन.आर.एल.एम्.	591.36	5062.07	5653.43	5358.05	295.38
2017-18	रुर्बन मिशन योजना	1773	670.11	2443.11	229.25	2213.86
2018-19	रुर्बन मिशन योजना	2213.86	900.0	3113.86	1234.86	1879.0
2019-20	**रुर्बन मिशन योजना**	1879.0	1385.0	3264.0	393.14	2870.86
2017-18	**मनरेगा योजना**	0.0	78858.32	78858.32	78858.32	0.0
2018-19	**मनरेगा योजना**	00	65091.66	65091.66	64998.04	93.62
2019-20	**मनरेगा योजना**	93.62	50891.52	50985.14	50902.66	82.48
2017-18	**राष्ट्रीयबायोगैस योजना**	21.61	0.0	21.61	16.51	5.10
2018-19	**राष्ट्रीयबायोगैस योजना**	5.10	39.26	44.36	40.69	3.67
2019-20	**राष्ट्रीयबायोगैस योजना**	3.67	48.0	51.67	44.81	6.86

भाग-II(अ)

प्रस्तर01:- कार्यालय द्वारा शासनादेश का पालन न करना एवं सोशल ऑडिट की सूचना के अनुसार रु 726.37 लाख की कुल 21078 आपत्तियों का अपूर्ण रहना |

पत्रांक संख्या : 618/ 163/ MGNREGS/2018-19 महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ (ग्रा0 वि0 वि0) देहरादून दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 मे सोशल ऑडिट टीम के निष्कर्षों पर कार्यवाही किए जाने के संबंध मे शासन द्वारा बिन्दु संख्या 3 में स्पष्ट उल्लेख हैं की वित्तीय अनियमित एवं अधिनियम उलंघन के गंभीर मामलों मे वसूली तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विभागीय कार्यवाही सोशल ऑडिट सम्पन्न होने की तिथि से 06 माह के भीतर पूर्ण कर ली जाएगी। कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु उपरोक्तानुसार अधिकारी उत्तरदाई होंगे।

बिन्दु संख्या 2 में मार्ग निर्देशिका के अनुसार वित्तीय अनियमितता एवं अन्य गंभीर अनियमितता के मामलों मेसंबंधितों से वसूली अथवा उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विभागीय कार्यवाही किए जाने हेतु निम्न अधिकारी उत्तरदाई होंगे। (जिला पंचायतराज अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी/ खंड विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी)

शासन स्तर पर प्रत्येक माह सोशल ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी के स्तर से की जाएगी । मुख्य विकास अधिकारी अपने जनपद की प्रगति आख्या संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करेंगे।

पत्रांक संख्या 05/ व0 नि0 स0 / अ0 स0- ग्रा0 वि0 / 2018-19, देहरादून : दिनांक :05 जनवरी 2019 में बिन्दु संख्या 8 में शिकायत निवारण संबन्धित में स्पष्ट उल्लेख हैं की 30 दिन के अंदर कार्यवाही न होने पर संबन्धित प्रदाधिकारी/ कर्मचारी पर प्रति शिकायत रु 500/- जुर्माना होगा।

पत्रांक संख्या 240 / USAATA/ सो0औ0- 71/ 2019, दिनांक 27.05.2019 को निर्देशक द्वारा ऑडिट रिपोर्ट की अनुपालन आख्या कार्यवाही हेतु अधिकारियों को उपलब्ध कराई गयी थी |

पत्रांक संख्या 156 / USAATA/ सो0औ0- 71/ 2019, दिनांक 08.03.2019 को निर्देशक द्वारा ऑडिट रिपोर्ट की अनुपालन आख्या कार्यवाही हेतु अधिकारियों को उपलब्ध कराई गयी थी |

पत्रांक संख्या 501 / USAATA/ अ0सं0/ अनु0आ0/ 2018, दिनांक 06.05.2018 को निर्देशक द्वारा ऑडिट रिपोर्ट की अनुपालन आख्या कार्यवाही हेतु अधिकारियों को उपलब्ध कराई गयी थी |

F.NO M-11015/4/2018-RE-iii (361686) Government of India Date 21 June, 2018 में स्पष्ट उल्लेख है जी सोशल ऑडिट की आपत्तियों के निपटान 30 दिन के अन्दर कार्यवाही की जाए |

कार्यालय आयुक्त ग्राम विकास जनपद, पौड़ी में संचालित मनरेगा से प्राप्त सामाजिक अंकेक्षण में पाया गया की वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में कुल आपत्तियाँ 21078 सोशल ऑडिट द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार रु 726.37 लाख की आपत्तियाँ अपूर्ण पायी गयी हैं। जबकि शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख है की सोशल ऑडिट सम्पन्न होने की तिथि से 6 माह के भीतर आपत्तियाँ पूर्ण कर ली जाएंगी।

परंतु वर्ष 2018-19 से लेखापरीक्षा की तिथि तक सोशल ऑडिट आपत्तियों का निपटान नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है की राज्य स्तर, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, आदि के द्वारा कोई भी कार्यवाही एवं अनुश्रवण नहीं किया जा रहा । जिस के कारण सोशल ऑडिट आपत्तियाँ का निराकरण समय से नहीं हो पाया | इकाइयों को शासन से कई बार आदेश भी दिया गया था की सोशल ऑडिट टीम की आपत्तियों का निपटारा किया जाए परंतु लेखापरीक्षा तिथि तक कार्यालय द्वारा नहीं किया गया | जोकि दिशा निर्देश के अनुसार अस्वीकार्य है।

उपरोक्त प्रकरणों की ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की एवं इकाई द्वारा बताया गया की उच्चाधिकारी को इस सम्बंध में निर्देश दिये गये है शीघ्र कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी। भविष्य में जल्दी कार्यवाही कर ली जाएगी ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार से प्राप्त शासन आदेश में स्पष्ट उल्लेख है की सोशल ऑडिट सम्पन्न होने की तिथि के 6 माह के भी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी एवं भारत सरकार से प्राप्त शासन आदेश में स्पष्ट उल्लेख है की सोशल ऑडिट सम्पन्न होने के 30 दिनों के भीतर शिकायत का जवाब दिया जाए। आगे जांच में यह भी पाया गया के बार-बार राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों पर कार्यवाही के आदेश दिये जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी जोकि राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार अस्वीकार्य है।

अत: कार्यालय द्वारा शासनादेश का पालन न करना एवं सोशल ऑडिट की सूचना के अनुसार रु 726.37 लाख की कुल 21078 आपत्तियों का अपूर्ण रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II(अ)

प्रस्तर02:- भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए प्राइवेट बैंक में चालू खाता खोले जाना एवं भारत सरकार को रु. 38.33 लाख की राजस्व हानि होना।

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जीरुर्बन मिशन का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करना और सुव्यवस्थित रुर्बनक्लस्टरों का सृजन करना है। उक्त योजना के अंतर्गत अनुमानित निवेश आवश्यकताओ और अभिसरण के माध्यम से संसाधनो के निर्धारण करने के आधार पर, शेष राशि मिशन के तहत आवश्यक पूरक वित्तपोषण राशि (CGF) होगी।

उत्तराखण्ड राज्य में कुल 6 रुर्बनक्लस्टर का सृजन किया गया है जिसके लिए CGF की धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

भारत सरकार ने पत्र संख्या K-11033/10/2018 Rurban Dated 24/05/2019 के द्वारा राज्य में सृजित किए गए क्लस्टर हेतु ज़ीरोबैलेन्स खाता उसी बैंक में जिसमे State Nodel Agency (SNA) का SPMRM बैंक खाता (SBA) खाता है में खोलने के निर्देश दिये गए। साथ ही निर्देश दिये गए कि मिशन का खाता एवं क्लस्टर हेतु ज़ीरो बैलेन्स खाता किसी राष्ट्रीयकृत में खोला जाए, तथा क्लस्टर के खातों को मिशन के खाते से जोड़ा जाए। साथ ही भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए राज्य एवं बैंक के मध्य होने वाले Model of MoU की जांच में प्रकाश में आया कि राज्य को मुख्य खाते में एक निश्चित धनराशि को बचत खाते में छोडकर शेष राशि को टर्मडिपॉज़िट में परिवर्तित करना था जिससे कि खाते में Fixed Deposit की दर से अधिकतम ब्याज की प्राप्ति होती।

कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी में संचालित रुर्बन योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच में प्रकाश में आया कि मिशन एवं क्लस्टरकी CGF की राशि के रख रखाव हेतु खाता सं 50200044621001 दिनांक 04/10/2019 को एचडीएफ़सी बैंक में खोला गया, जोकि राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी में नहीं आता है। इससे पूर्व सीजीएफ़ का रख रखाव इसी बैंक में बचत खाता सं 50100199414322 द्वारा किया जाता था, जिस पर ब्याज के रूप में धनराशि प्राप्त होती थी। परंतु दिनांक 04/10/2019 को चालू खाता खोलकर CGF की राशि को दिनांक 21/10/2019 को बचत खाते से चालू खाते में हस्तांतरित कर दिया गया। जिस कारण भारत सरकार को मिलने वाले ब्याज की राशि रु. 3832876/- से हाथ धोना पड़ा। (विवरण संलग्न)

चूंकि HDFC बैंक एक Private बैंक है अत: ब्याज के रूप में मिलने वाली धनराशि भारत सरकार के लिए शुद्ध रूप से राजस्व प्राप्ति होती। भारत सरकार द्वारा मात्र क्लस्टर हेतु ज़ीरो बैलेन्स खाता खोलने के निर्देश दिये गए थे न कि मुख्य खाता हेतु। परंतु इकाई द्वारा रुर्बन मिशन का मुख्य खाता भी बचत खाते से चालू खाते में परिवर्तित कर दिया गया। जिस कारण भारत सरकार को रु. 38.33 लाख का अतिरिक्त भार पड़ा क्योकि भारत सरकार द्वारा आगामी वर्ष में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से ब्याज के रूप में मिलने वाली धनराशि को कम करते हुए धनराशि आवंटित की जाती है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की एवं अवगत कराया कि योजना के प्रारम्भ वर्ष 2016-17 से CGF की धनराशि का रख रखाव HDFC बैंक के बचत खाता में होता था जिस पर ब्याज के रूप में धनराशि प्राप्त होती थी। इकाई ने स्वीकार

किया कि CGF के रख रखाव हेतु चालू खाता खोला गया जिस पर ब्याज प्राप्त नहीं होता है। इकाई ने स्वीकार किया कि त्रुटिवश चालू खाता खोला गया।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि भारत सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि ज़ीरो बैलेन्स खाता मात्र क्लस्टरों हेतु खोलना है। साथ ही खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोलने के निर्देश दिये गए थे। साथ ही राज्य एवं बैंक के मध्य होने वाले Model of MoU से स्पष्ट था कि राज्य को मुख्य खाते में एक निश्चित धनराशि को बचत खाते में छोडकर शेष राशि को टर्मडिपॉज़िट में परिवर्तित करना था जिससे कि खाते में Fixed Deposit की दर से अधिकतम ब्याज की प्राप्ति होती।

भारत सरकार के निर्देशों का उलंघन करते हुए अनधिकृत बैंक में चालू खाता खोले जाने से बैंक को अदेय लाभ देने एवं भारत सरकार को रु. 38.33 लाख की राजस्व हानिका प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

Interest Calculation

Balance as on 21/10/2019:- 1,00,00,000/- (on account opening)

Date		Balance (Rs.)	No. of days	Interest @ 4.0 p.a
From	To			
21/10/2019	29/10/2019	10000000	09	**9863.01**
30/10/2019	17/11/2019	50500000	19	**105150.68**
18/11/2019	09/12/2019	60162460	22	**145049.22**
10/12/2019	04/02/2020	60162342	57	**375808.6**
05/02/2020	27/02/2020	141162342	23	**355806.45**
28/02/2020	01/03/2020	89829621	03	**29533.03**
02/03/2020	25/03/2020	92015621	24	**242013.69**
26/03/2020	14/04/2020	101015621	20	**221404.10**
TOTAL				**1484628.78**
				Interest @ 3.75p.a
15/04/2020	21/04/2020	101015621	07	**72648.22**
22/04/2020	28/04/2020	100980784	07	**72623.17**
29/04/2020	07/05/2020	100977284	09	**93369.4**
08/05/2020	01/06/2020	100937284	25	**259256.7**
02/06/2020	02/06/2020	100812284	01	**10357.43**
03/06/2020	04/06/2020	100772284	02	**20706.64**
05/06/2020	07/06/2020	100172284	03	**30875.02**
08/06/2020	08/06/2020	98772284	01	**10147.84**
09/06/2020	10/06/2020	94972284	02	**19514.85**
TOTAL				**589499.27**
				Interest @ 3.5p.a
11/06/2020	14/06/2020	94971130	04	**36427.28**
15/06/2020	15/06/2020	94851012	01	**9095.3**
16/06/2020	16/06/2020	92451012	01	**8865.17**
17/06/2020	21/06/2020	92361012	05	**44282.68**
22/06/2020	22/06/2020	92085178	01	**8830.09**
23/06/2020	23/06/2020	90684625	01	**8695.79**
24/06/2020	28/06/2020	70684625	05	**33889.89**

29/06/2020	29/06/2020	69355625	01	**6650.54**
30/06/2020	29/07/2020	67355625	30	**193762.76**
01/07/2020	08/07/2020	66741625	08	**51199.05**
09/07/2020	09/07/2020	66596625	01	**6385.98**
10/07/2020	12/07/2020	58932926	03	**16953.31**
13/07/2020	19/07/2020	55042926	07	**36946.62**
20/07/2020	21/07/2020	49242926	02	**9443.85**
22/07/2020	23/07/2020	48552926	02	**9311.52**
24/07/2020	27/07/2020	48472926	04	**18592.36**
28/07/2020	29/07/2020	48472808	02	**9296.15**
30/07/2020	18/08/2020	47739020	05	**22888.57**
19/08/2020	23/08/2020	43739020	05	**20970.76**
24/08/2020	24/08/2020	104489020	01	**10019.5**
25/08/2020	27/08/2020	103889020	03	**29885.88**
28/08/2020	28/08/2020	103849020	01	**9958.13**
29/08/2020	30/08/2020	103119020	02	**19776.25**
31/08/2020	02/09/2020	109869020	03	**31606.16**
03/09/2020	03/09/2020	109744020	01	**10523.4**
04/09/2020	04/09/2020	107387520	01	**10297.43**
05/09/2020	07/09/2020	107173219	03	**30830.65**
08/09/2020	13/09/2020	107026819	06	**61577.07**
14/09/2020	21/09/2020	105984367	08	**81303.08**
22/09/2020	23/09/2020	103678201	02	**19883.49**
24/09/2020	28/09/2020	103288343	05	**49521.81**
29/09/2020	29/09/2020	103170843	01	**9893.09**
30/09/2020	02/10/2020	102935843	03	**29611.68**
03/10/2020	05/10/2020	102895847	03	**29600.18**
06/10/2020	11/10/2020	102264610	06	**58837.17**
12/10/2020	13/10/2020	102244610	02	**19608.56**
14/10/2020	14/10/2020	80944610	01	**7761.81**
15/10/2020	15/10/2020	69964610	01	**6708.94**
16/10/2020	22/10/2020	65216110	07	**43775.2**
23/10/2020	27/10/2020	64196110	05	**30778.96**
28/10/2020	28/10/2020	64001940	01	**6137.17**

29/10/2020	06/11/2020	63601940	09	**54889.35**
07/11/2020	08/11/2020	63521940	02	**12182.29**
09/11/2020	09/11/2020	61922329	01	**5937.76**
10/11/2020	10/11/2020	51536649	01	**4941.87**
11/11/2020	11/11/2020	83245749	01	**7982.47**
12/11/2020	18/11/2020	72885849	07	**48923.38**
19/11/2020	24/11/2020	70885849	06	**40783.64**
25/11/2020	01/12/2020	70035849	07	**47010.36**
02/12/2020	16/12/2020	70019349	15	**100712.76**
17/12/2020	20/12/2020	69979749	04	**26841.55**
21/12/2020	30/12/2020	69949749	10	**67075.1**
31/12/2020	05/01/2021	69907749	06	**40220.9**
06/01/2021	11/01/2021	69899849	06	**40216.35**
12/01/2021	14/01/2021	69869092	03	**20099.33**
13/01/2021	14/01/2021	46829102	02	**8980.92**
15/01/2021	17/01/2021	46679102	03	**13428.23**
18/01/2021	30/01/2021	46639102	13	**58139.15**
Total				**1758748.69**

Grand Total:- 1484628.78+589499.27+1758748.69=3832876.74/-

भाग- II(ब)

प्रस्तर01:- शासनादेश का उलंघन करते हुए अवमुक्त धनराशि एकमुश्तआहारित किया जाना एवं वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि विगत 6 वर्षों से शासन को समर्पित न किया जाना रु. 148.079 लाख।

उत्तराखण्ड राज्य में बार्डर पर स्थित ग्रामो के विकास हेतु उत्तराखण्ड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि योजना का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी के वर्ष 2019-20 के उक्त योजना से संबन्धित लेखा अभिलेख की लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आया कि वर्ष 2019-20 में पत्र दिनांक 15 फरवरी 2020 द्वारा रु. 42.63 लाख जिला अधिकारी अल्मोड़ा को इस शर्त पर प्रदान किए गए कि उक्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31/03/2020 तक किया जाए। उक्त धनराशि वर्ष 2014-15 में स्वीकृत योजना के पूर्ण कार्यों के सापेक्ष अवशेष धनराशि के रूप में अवमुक्त की गयी। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विभिन्न पत्रों के द्वारा पूर्ण कार्यों की देनदारी के सापेक्ष उक्त धनराशि की मांग की थी। परंतु वर्ष 2019-20 के उपयोगिता प्रमाण पत्र से प्रकाश में आया कि जनपद अल्मोड़ा द्वारा अवमुक्त धनराशि में से कोई भी धनराशि व्यय नहीं की गयी है जबकि विगत 3 वर्षों से पूर्ण कार्यों के सापेक्ष देनदारी लंबित थी। आगे जांच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 के अन्त में विभिन्न जनपदों के पास रु. 106.91 लाख अवशेष थे जिसे शासन को समर्पित किया जाना चाहिए था। परन्तु उक्त धनराशि को वर्ष 2020-21 में व्यय किए जाने हेतु आश्वासन दिया गया। जबकि इससे पूर्व भी विगत कई वर्षो से लंबित पड़ी धनराशि का उपभोग भी जनपदों द्वारा नहीं किया गया।

साथ ही इन्दिरा अम्मा योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच में प्रकाश में आया कि शासनादेश संख्या 1532/XI/19/ 56(68)2015 दिनांक 27 अगस्त 2019 के द्वारा प्रदेश के जनपदों में संचालित कैंटीनों में सबसिडी के भुगतान हेतु रु. 207.42 लाख इस शर्त पर अवमुक्त की गयी कि उक्त धनराशि का व्यय/उपभोग दिनांक 31/03/2020 तक कर लिया जाए तथा अवशेष धनराशि को वर्ष के अन्त में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। परन्तु कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विभाग उत्तराखण्ड पौड़ी के वर्ष 2019-20 के उपयोगिता प्रमाण पत्र से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2019-20 के अन्त में रु. 41.169 लाख अवशेष है जिसका प्रयोग वर्ष 2020-21 में किए जाने के सम्बन्ध में कहा गया है। जबकि उक्त धनराशि को उपरोक्त शासनादेश के अंतर्गत शासन को समर्पित किया जाना चाहिए था।

उपरोक्त प्रकरणो के सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की एवं अवगत कराया कि अवशेष धनराशि को समर्पित किए जाने हेतु संबन्धित जनपद को पत्राचार किया गया था। साथ ही इन्दिरा अम्मा योजना की धनराशि के सम्बन्ध में अवगत कराया कि जनपदो द्वारा धनराशि का एकमुश्त आहरण किया गया जिस कारण उक्त धनराशि समर्पित नहीं की जा सकी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि इकाई द्वारा वर्ष 2019 में अवशेष धनराशि को समर्पित किए जाने हेतु पत्राचार किया था तत्पश्चात कोई पत्राचार नहीं किया गया एवं धनराशि का एकमुश्त आहरण किया जाना भी उपरोक्त शासनादेश का उलंघन है।

अत: शासनादेश का उलंघन करते हुए धनराशि एकमुश्त आहारित किए जाने तथा विगत 6 वर्षों से अवशेष धनराशि शासन को समर्पित न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय**,** आयुक्त**,** ग्राम्य विकास विभाग**,** पौड़ी गढ़वाल के वित्तीय वर्ष **2019-20** के लेखा-अभिलेखों की सम्प्रेक्षा श्री के.पी. सिंह स.ले.प.अ. एवं श्री बरुण शर्मा**,** स.ले.प.अ. श्री अनुज कुमार सिंघल स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक **19.1.2021** से **30.01.2021** तक श्री ए.के. भारतीय**,** वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी।

(ख)विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

क्रम संख्या	**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या**	**भाग 2(अ) प्रस्तर**	**भाग 2(ब) प्रस्तर**	**STAN** के **प्रस्तर**	**TAN** के **प्रस्तर**
	19 \ 2019-20	**--**	**1**	1,2	----
विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रति उत्तर तैयार कर कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कौलागढ़ देहरादून को पृथक रूप से प्रेषित कर दिया जाएगा।					

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

======सामान्य =========

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी गढ़वाल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2- सतत अनियमितताएं- शून्य

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः-

क्रमसंख्या	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1	श्रीरामविलास यादव	आयुक्त ग्राम्य विकास	1.4.2019 से 15.12.2020
2	सुश्री वन्दना सिंह	आयुक्त ग्राम्य विकास	16.12.2020 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नही हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ीगढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप-महालेखाकार, ए.एम् जी.-**1**, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-**248195** को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

वरि**0** लेखापरीक्षा अधिकारी

ए.एम्.जी.-**1**